

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० उत्तराखण्ड
डाण्डा लखौण्ड, पो०ओ० गुजराडा, सहस्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2808783, फॉक्स: 0135-2808748

पत्रांक : 23प/आई०डी०एस०पी०/COVID-19/2020/637

दिनांक : 24 जून, 2020

सेवा में,

निदेशक (भण्डार),
महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

विषय : Standard Q COVID-19 Ag kit क्रय विषयक।


गहोदय,

Director General Indian Council of Medical Research (ICMR), Department of Health Research, MOH&FW, Delhi के दिशा निर्देश D.O No. ECD/COVID19/Misc./2020 दिनांक 19/06/2020 (संलग्न) एवं दिनांक 14/06/2020 (संलग्न) अनुसार Standard Q COVID-19 Ag kit को ICMR भारत सरकार द्वारा कोविड-19 टेस्टिंग हेतु अनुमोदित किया गया है। उक्त किट को "Point of care diagnostic assay for testing in the containment zones as well as hospitals in combination with the gold standard RT-PCR test" हेतु इस्तेमाल किये जाने के लिए उपयुक्त बताया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में ICMR भारत सरकार के निर्देशानुसार आप 20,000 (बीस हजार) Standard Q COVID-19 Ag kit का नियमानुसार क्रय करने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीया


(डा० अमिता उप्रेती)
महानिदेशक
23/06/2020

पत्रांक : 23प/आई०डी०एस०पी०/COVID-19/2020/638

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन
2. प्रमारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. नोडल अधिकारी COVID-19 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
5. प्रमारी अधिकारी आई०डी०एस०पी०।


(डा० अमिता उप्रेती)
महानिदेशक